FILE No.

30/6/14
17/7/14
29/8/14
17/10/14
30/12/14
31/3/15
17/6/15
11/9/15
28/10/15
30/12/15
17/3/16
24/5/16
8.7.16
9.8.16
26/10/16
29/12/16
24/3/17
14/6/17
25/8/17
13/11/17
10/1/18
6/2/18
15/5/18
7/8/18
12/10/18

उ०न०. 75/14
प्रा०५४ धा/1212 RTA
दायरा दि० 19/6/14
निर्णय दिनांक (कोर्ट) 5/3/21

#2014/00349

किरन देई आदि बनाम चौधरी सिंह 4000BRR

Name :

Address : 30/4/20 9/11/20 17/2/21

Subject :

From : To : 3/3/21 05/03/21 (आदेश) 1. 2 प्रति 3, 4, 5 आर २८३

26/12/18
8/3/19
15/5/19
24/7/19
20/9/19
25/11/19
11/3/20

देवकीनन्दन शर्मा
महेन्द्र कृष्ण शर्मा

यह file धारा ४२ कोर्ट फीस ...

Record File

Can Be Had From :
Kanhi Ram Data Ram
Hospital Road & Rawatpara
AGRA-3

Laxmi
R.K.D. PRODUCTS

प्रभाशंकर ...
स्टाम्प विक्रेता ...
महमील बयाना (भरतपुर)
ला०न०27/2011-12

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Arya
Date: 2021.04.22 16:33:57 IST
Reason: SelfAttested

APP-A
Crim-I

FORM No. IH
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बयाना

किशन देई आदि बनाम जिला कलक्टर आदि

मुकदमा धारा 212 RT Act नं. 75/12 सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
6/14	वकील प्रार्थी ने यह प्रार्थनापत्र धारा 212 RT Act के तहत पेश किया। वकील प्रार्थी को सुना। पत्रावली में संलग्न रिकार्ड अभिलेख का अवलोकन किया। प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण के हक में प्रतीत आता है कि अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी तारीख पेशी दिनांक 30/6/14 तक इस आशय का जारी किया जाता है कि आ० खसरा नं० 450/1.90, 455/0.20 कीता 2 कुल रकबा 2.10 हे० वाके ग्राम गाजीपुर तहसील बयाना में किसी प्रकार का निर्माण नहीं करें। इस बाबत कोई आपत्ति हो तो नियत तारीख पेशी दिनांक 30/6/14 को न्यायालय द्वारा उप० की प्रार्थनापत्र दर्ज रजि० हो। अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब कर पत्रावली दिनांक 30/6/14 को पेश हो। (हस्ताक्षर) 19/6/14 440 / 1.90 आदेश दि. 1/1/9/14 [illegible] उपखण्ड अधिकारी बयाना (भरतपुर)	
30/6/14	पीठासीन अधिकारी [illegible] पत्रावली पुनः दि 17/7/14 को प्रस्तुत हो। रीडर एस.डी.ओ./एस.डी.एम. बयाना BPR 4/6/14	
17/7/14	पीठासीन अधिकारी [illegible] पत्रावली पुनः दि 22/8/14 को प्रस्तुत हो। रीडर एस.डी.ओ./एस.डी.एम. बयाना	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Arya
Date: 2021.04.22 16:33:57 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
17/3/21	पीठासीन अधिकारी [illegible] कार्य में है। अप्रार्थी 1,2 का जवाब पेश हुआ। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 3/3/21 को पेश हो रीडर एस0डी0ओ0/एस0डी0एम0 बयाना
3/3/21	वकलाय उप0। अप्रार्थी 3,4 का जवाब प्रार्थना पत्र पेश हुआ। बहस आदेश सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 5/3/21 को पेश हो।
5/3/21	प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 251 RT Act के तहत पेश कर निवेदन किया कि आ0 नं0 440/1.90, 455/0.20 ग्राम गाजीपुर तहसील बयाना स्थित है। विवादित आराजी के वादीगण / प्रार्थीगण बराबर हिस्से के खातेदार काश्तकार काबिज आराजी हैं। प्रार्थीगण की खातेदारी, कब्जे काश्त की उक्त आराजी की मेंड से 30 फुट दूरी तक उत्तर आम रास्ता काफी समय से कायम चला आ रहा है किन्तु उक्त आम रास्ता पर कुछ लोग अवैध कब्जा किए हुए हैं। अप्रार्थीगण का विवादित आराजी से कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं है प्रार्थीगण की उक्त खातेदारी खातेदारी, काश्तकारी आराजी में भादपुर रोड से पापड़ी मोड़ तक सड़क निकालने पर आमादा हैं। दिनांक 18/6/2014 को अप्रार्थीगण [illegible] की खातेदारी आराजी से सड़क निकाल[illegible] खिड़की खोद लेंगे, प्रार्थीगण के [illegible] है; यदि अप्रार्थीगण अपनी मंशा [illegible] हो जाते हैं तो प्रार्थीगण को क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति पैसे से नहीं हो सकेगी। प्राइमाफेसी केस व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित है।

उपखण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Arya
Date: 2021.04.22 16:33:57 IST
Reason: SelfAttested

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामीज में जारी हुए	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामीज में जारी हुए
	अन्त में प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण स्वीकार कर अप्रार्थीगण को मूल वाद के निर्णय तक विवादित आराजी में किसी प्रकार का अतिक्रमण, हस्तक्षेप नहीं करने व अवैध रूप से सड़क निर्माण नहीं करने बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निवेदन किया है।	
	प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने दिनांक 17/3/2021 व अप्रार्थी संख्या 3 व 4 ने दिनांक 3/3/2021 को अपना जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थना-पत्र की अधिकांश मदों को अस्वीकार कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज रास्ते में ही रास्ते का निर्माण कराया जाना अंकित किया है। अन्त में प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किए जाने का निवेदन किया है।	
	हमने विद्वान अभिभाषकगणों को सुना। विद्वान अभिभाषक का कथन है कि अप्रार्थीगण प्रार्थी के खातेदारी काश्तकारी आराजी पर सड़क निर्माण करना चाहते हैं जिसका अप्रार्थीगण को कोई अधिकार नहीं है। अप्रार्थीगण के विरुद्ध जारी अस्थाई निषेधाज्ञा मूल वाद के निर्णय तक कन्फर्म करने की इस्तदुआ की है।	
	विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण श्री कपिलकुमार शर्मा का तर्क है कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी में सड़क निर्माण नहीं कराया जा रहा है बल्कि राजस्व विभाग के नक्शे में कायम रास्ते में ही सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। प्रार्थीगण की खातेदारी काश्तकारी आराजी यात से अप्रार्थीगण का कोई लेना-देना नहीं है। राजस्व रिकार्ड [illegible] आराजी जो रास्ते में दर्ज है पर ही सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। रास्ते में दर्ज आराजी पर गांव के लोगों द्वारा नाजायज कब्जा, अतिक्रमण कर रखा है। रास्ते पर से अतिक्रमण हटाकर सड़क निर्माण किया जाना न्यायोचित है। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण	

उपखण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Arya
Date: 2021.04.22 16:33:57 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
	स्वीकार करने का निवेदन किया है। विद्वान अभिभाषकगणों को सुनने के उपरान्त पत्रावली में संलग्न राजस्व अभिलेख जमाबन्दी सम्वत 2068-2071 का अवलोकन किया। यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी वादीगण/प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी है। उभय पक्ष के वकलाय ने दौराने बहस यह तर्क किया है कि रास्ते की कोई लेना-देना आराजी के वादीगण/प्रार्थीगण से राजस्व अभिलेख नक्शा में नहीं है। ~~रास्ते के~~ राजस्व अभिलेख में अप्रार्थीगण रास्ता जहां से रास्ता कायम है वहां से अप्रार्थीगण के ~~[illegible]~~ कायम कर सकते हैं। अप्रार्थीगण के अभिभाषक का भी कथन है कि अप्रार्थीगण सड़क निर्माणकर्ता प्रार्थीगण की आराजीयात में सड़क निर्माण कर राजस्व नक्शे में दर्ज रास्ते की आराजी में ही सड़क का निर्माण करेंगे। विद्वान अभिभाषकगणों को सुनने व पत्रावली में संलग्न राजस्व अभिलेख के अवलोकन बाद राजीनामा पत्र प्रार्थीगण निम्नानुसार स्वीकार योग्य है। **आदेश:-** अतः राजीनामा पत्र प्रार्थीगण निम्नानुसार स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खसरा नं० 540/1.90, 555/0.20 हे० वाके ग्राम गाजीपुर तहसील बयाना में सड़क निर्माण नहीं कर राजस्व विभाग के नक्शे में दर्ज रास्ते [illegible] पर ही सड़क का निर्माण करेंगे। यह आदेश मूल वाद के निर्णय तक प्रभावी रहेगा। प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण द्वारा राजस्व विभाग के नक्शे में अंकित रास्ते [illegible] निर्माण पर कोई आपत्ति नहीं होगी। उक्त आदेश [illegible] आराजी की पैमाइश [illegible] आराजी की पैमाइश अथवा राजस्व [illegible] हेतु निष्प्रभावी [illegible] प्रकार [illegible] नम्बर से कम हो। बाद तकमील कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो। आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 05/03/21 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Arya
Date: 2021.04.22 16:33:57 IST
Reason: SelfAttested